न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 176/2019 वाद

जसपाल मुतबन्ना रोडीलाल पिता कारूलाल आंजना, आयु 28 साल, निवासी रानीखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1. कारूलाल पिता जोर आंजना, निवासी रानीखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. राहुल पिता मथुरालाल आंजना, आयु 29 साल, निवासी रानीखेड़ा।
3. यसोदा बेवा मथुरालाल आंजना, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
4. भावना पुत्री मथुरालाल आंजना, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0का0अधि0
श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा, अधिवक्ता वादी उपस्थित
श्री कुशलराज डुंगरवाल, अधिवक्ता प्रतिवादीगण, उपस्थित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 02.12.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा रानीखेड़ा की खाता संख्या 281 की आराजी नं. 428, 552 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6900 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो रोडीलाल पिता जोर जी आंजना के नाम दर्ज रेकार्ड है। रोडीलाल की शादी धापुबाई से हुई थी तथा धापुबाई व रोडीलाल के कोई संतान नहीं होने से रोडीलाल ने अपने भाई कारूलाल के पुत्र जसपाल को जाति, रस्म रिवाज अनुसार गोद रख लिया था जिससे जसपाल के माता–पिता भी सहमत थे तथा रोडीलाल की पत्नी धापुबाई भी सहमत थी। उक्त गोदनामें की एक याददाश्त तहरीर भी रोडीलाल ने दिनांक 14.01.2013 को वादी जसपाल के पक्ष में निष्पादित करी थी। वादी अपने गोदी माता पिता के साथ रह कर उनकी सेवा सुश्रुवा करता था। बिमार होने पर उनकी दवा का प्रबंध करता था व एक पुत्र की हैसियत से अपने गोदी माता पिता के प्रति सभी कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया, रोडीलाल की मृत्यु आज से करीब ढाई वर्ष पूर्व दिनांक 05.11.2016 को हो गई। उनकी मृत्यु के बाद सभी अंतिम, सामाजिक क्रिया कर्म बहैसियत पुत्र वादी जसपाल द्वारा ही किये गये तथा रोडीलाल की मृत्यु उपरान्त समाज के लोगों की मौजुदगी में वादी जसपाल के बंधी। कुछ समय बाद रोडीलाल की धर्म पत्नी धापु बाई की भी मृत्यु दिनांक 05.03.2017 को हो गई जिसके समस्त सामाजिक दायित्व भी

वादी जसपाल द्वारा निर्वाहित किये गये। इस प्रकार बहैसियत गोदी पुत्र जसपाल रोडीलाल जी की सम्पत्ति का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है परन्तु राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि आज भी रोडीलाल जी के नाम दर्ज चली आ रही है। वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमि अपने नाम दर्ज कराने हेतु कई बार कहा परन्तु प्रतिवादीगण नहीं मान रहे हैं इसलिए मजबुरन वादी को यह दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री किया जावे तथा विवादित भूमि वादी की खातेदारी की घोषित की जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा ईकबाली जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के कथनों को स्वीकार किया और वादी का दावा डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी संवत 2070-73 ग्राम रानीखेड़ा की खाता संख्या 281 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-1, गोदनामा दिनांक 14.01.2013 की छायाप्रति प्रदर्श-2ए प्रस्तुत किया है। मौखिक साक्ष्य में वादी का पीडब्ल्यु-1, कालुराम पिता जोर जी पीडब्ल्यु-2, शांतिलाल पिता मोहन लाल सुथार पीडब्ल्यु-3 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं व बयान करवाये हैं। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि रोडीलाल पिता जोर जी के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसकी मृत्यु होना वादी एवं प्रतिवादीगण ने बताया है। गोदनामा प्रदर्श-2ए अनुसार रोडीलाल पिता जोर जी आंजना ने वादी जसपाल पिता कालुराम आंजना को गोद लेना अंकित किया है जिसकी ताईद पीडब्ल्यु-2 व 3 ने भी की है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण जो रोडीलाल के वारिस होते, उन्होनें भी ईकबाली जवाबदावा प्रस्तुत कर भूमि वादी के नाम दर्ज किये जाने में सहमति प्रकट की है। ऐसी स्थिति में वादी का दावा डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा रानीखेड़ा की खाता संख्या 281 की आराजी नं. 428, 552 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6900 हैक्टेयर भूमि वादी जसपाल मुतबन्ना रोडीलाल आंजना की खातेदारी की घोषित की जाती है। जसपाल का नाम रोडीलाल के स्थान पर बतौर खातेदार अंकित किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 02.12.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 176/2019 वाद

जसपाल मुतबन्ना रोडीलाल पिता कारूलाल आंजना, आयु 28 साल, निवासी रानीखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1. कारूलाल पिता जोर आंजना, निवासी रानीखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. राहुल पिता मथुरालाल आंजना, आयु 29 साल, निवासी रानीखेड़ा।
3. यसोदा बेवा मथुरालाल आंजना, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
4. भावना पुत्री मथुरालाल आंजना, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0का0अधि0

इस वाद में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कुशलराज डुंगरवाल की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली प्रस्तुत होने पर निर्णय दिया जाता है कि वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा रानीखेड़ा की खाता संख्या 281 की आराजी नं. 428, 552 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6900 हैक्टेयर भूमि वादी जसपाल मुतबन्ना रोडीलाल आंजना की खातेदारी की घोषित की जाती है। जसपाल का नाम रोडीलाल के स्थान पर बतौर खातेदार अंकित किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आज दिनांक 02.12.2019 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा सहित जारी किया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 15:43:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: